भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2154
सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

पर्याप्त रोजगार सृजन में कठिनाइयां

2154. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सिटी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि सरकार के लिए 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजन करना मुश्किल होगा;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ड) इस संबंध में सृजित रोजगार के अवसर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कितने कम हैं; और

(च) सरकार द्वारा आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (च): सरकार ने सिटीग्रुप की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत 7% विकास दर के साथ भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए संघर्ष करेगा।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार है:

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	यूआर (% में)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आकड़ें दर्शाते हैं कि डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और बेरोजगारी दर में पिछले कुछ वर्षों में कमी की प्रवृत्ति है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजगार वर्ष 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.19 करोड़ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने महिलाओं सहित देश भर में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौर, https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा की है।

*****